



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



2 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 91 राँची, बुधवार,

21 फरवरी, 2024 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

13 दिसम्बर, 2023

विषय:- झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या- 2413, दिनांक 15.09.2020 में संशोधन की स्वीकृति ।

संख्या- खा.प्र.-01/झा०रा०खा०सु०यो०/06-7/2020- 3515--राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभागीय संकल्प संख्या-2413 दिनांक 15.09.2020 द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजनान्तर्गत पात्र लाभुकों को प्रति लाभुक प्रति माह 05 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाता है ।

- विभागीय संकल्प संख्या-2413 दिनांक 15.09.2020 की कंडिका-18 में प्रावधान है कि "संबंधित योजनान्तर्गत खाद्यान्न (चावल) की प्राप्ति प्रथमतः भारतीय खाद्य निगम/किसी अन्य राज्य के खाद्य निगम के माध्यम से अथवा NeML के माध्यम से Reverse Auction द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

इस हेतु प्रत्येक छःमाही के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची के स्तर से Reverse Auction कराया जायेगा। आमंत्रित की जानेवाली निविदा की शर्तें विभाग द्वारा निर्धारित की जायेंगी। चयनित आपूर्तिकर्ता द्वारा खाद्यान्न झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रखण्ड स्थित गोदामों में पहुँचाया जायेगा, जिसके लिए आपूर्तिकर्ता को अलग से परिवहन शुल्क नहीं दिया जायेगा।”

राज्य में वस्तु एवं सेवाओं की प्राप्ति हेतु निविदा के संदर्भ में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड का संकल्प संख्या-1610 दिनांक 26.12.2022 निर्गत है। साथ ही राज्य में वर्तमान में विकेन्द्रीकरण प्रणाली (DCP Mode) के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति योजना संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत अधिप्राप्ति किये गये धान से तैयार CMR (Customed Milled Rice) को खाद्यान्न आपूर्ति योजनाओं में उपयोग किया जाना है। धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत प्राप्त CMR (Customed Milled Rice) का उपयोग झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को कार्यान्वित करने में किया जाना है।

3. विभागीय संकल्प संख्या-2413 दिनांक 15.09.2020 की कंडिका-22 में प्रावधान है कि -
 “संबंधित योजनान्तर्गत आपूर्ति किये गये खाद्यान्न के संबंध में प्राप्त विपत्रों के विरुद्ध अनुमान्य राशि का भुगतान भारतीय खाद्य निगम/चयनित आपूर्तिकर्ता को संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस क्रम में आपूर्ति की गई खाद्यान्न की मात्रा के आलोक में विभाग स्तर से राशि का आवंटन संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी को किया जायेगा जिसमें खाद्यान्न की राशि तथा खाद्यान्न वितरण कार्य हेतु भारत अन्य व्यय की राशि सन्निहित होगा।”

धान अधिप्राप्ति योजना से तैयार CMR (Customed Milled Rice) का उपयोग झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में किये जाने पर चावल के मूल्य का भुगतान झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड राँची को किया जाना है। साथ ही GeM Portal के माध्यम से निविदा निस्तार होने पर संवेदक द्वारा विपत्र प्रस्तुत करने के 10 दिनों के अंदर राशि का भुगतान बाध्यकारी है। वर्णित स्थिति में चावल के विपत्रों की राशि का भुगतान निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची द्वारा किया जाना श्रेयस्कर है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-2413 दिनांक 15.09.2020 की कंडिका-18 एवं कंडिका-22 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

- (i) **कंडिका-18:** - झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन हेतु खाद्यान्न (चावल) की प्राप्ति धान अधिप्राप्ति योजना से तैयार CMR (Customed Milled Rice) से किया जा सकेगा। धान अधिप्राप्ति योजना से चावल प्राप्ति की स्थिति में भारत सरकार द्वारा संबंधित खरीफ विपणन वर्ष के लिए चावल के लिए निर्धारित

Cost Sheet के अनुसार अनुमान्य Incidental सहित चावल का दर तथा धान एवं चावल का परिवहन हेतु संबंधित वर्ष में अनुमान्य राशि झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को देय होगा। यदि CMR (Customed Milled Rice) उपलब्ध नहीं हो पाता है तो भारतीय खाद्य निगम/किसी अन्य राज्य के खाद्य निगम से चावल का क्रय करते हुए योजना कार्यान्वित करायी जायेगी।

उपर्युक्त विकल्पों से योजना अंतर्गत चावल की आपूर्ति संभव नहीं होने की स्थिति में निविदा की प्रक्रिया कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-1610 दिनांक 26.12.2022 के आलोक में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची द्वारा संपन्न की जाएगी। निविदा की शर्तें विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी। चयनित आपूर्तिकर्ता द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रखण्ड स्थित गोदामों तक खाद्यान्न पहुँचाया जायेगा, जिसके लिए आपूर्तिकर्ता को अल्ला से परिवहन शुल्क नहीं दिया जाएगा। निविदा के माध्यम से खाद्यान्न (चावल) की आपूर्ति यथा संभव 05 किलोग्राम के बंद पैकेट में ली जाएगी।

- (ii) **कंडिका-22:** - झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन हेतु खाद्यान्न (चावल) के मूल्य का भुगतान निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची द्वारा किया जाएगा। इस हेतु निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय द्वारा यथा आवश्यक राशि की अग्रिम निकासी भी की जा सकेगी एवं निकासी की गई अग्रिम राशि का ससमय समायोजन किया जाएगा।

योजनान्तर्गत खाद्यान्न के वितरण कार्य हेतु संचलन अनुदान, भंडारण शुल्क, डोर स्टेप डिलिवरी तथा डीलर कमीशन का भुगतान संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

5. विभागीय संकल्प संख्या-2413, दिनांक 15.09.2020 की संगत कंडिकाएँ इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
6. उक्त से संबंधित विभागीय संलेख ज्ञापांक-3460, दिनांक 06.12.2023 पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 07.12.2023 की बैठक की मद संख्या-17 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।
